न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

19/2023

श्री अवधेश शर्मा निवासी पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 मंदिर श्री कल्याण जी महाराज ट्रस्ट डिग्गी में जो मंदिर में विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है यह किस नाम से हैं वह इसके मीटर खाता संख्या नंबर की सूचना सूचित फरमावे

2 मंदिर श्री कल्याण जी ट्रस्ट द्वारा जो ग्राम डिग्गी की रोड लाइटों के बिजली के बिलों का भुगतान किया जाता है कौन—कौन सी रोड लाइटों का भुगतान किया जाता है सूचना सूचित

3 मंदिर श्री कल्याण जी महाराज ट्रस्ट द्वारा जो ग्राम डिग्गी की रोड लाइटों का बिजली के बिल का भुगतान किया जा रहा है वह विद्युत कनेक्शन किस नाम से है व उसके मीटर खाता संख्या क्या है व मंदिर द्वारा जिस रोड लाइट का भुगतान किया जा रहा है वर्ष 2016 से 2023 के बिलों की नकल दिलावाये।

4 मंदिर श्री कल्याण जी महाराज ट्रस्ट द्वारा जो ग्राम डिग्गी की रोड लाइटों का भुगतान किया जा रहा है इन रोड लाइटों के बिल का भुगतान विद्युत विभाग को किस वर्ष से प्रारंभ देना किया गया व किस प्रस्ताव के तहत किस दिनांक को प्रस्ताव लिया गया उसकी नकल या किसी कार्यालय आदेश अगर हुआ है मंदिर ट्रस्ट डिग्गी को ग्राम डिग्गी की रोड लाइटों का बिल का भुगतान देने हेतु सूचना सूचित फरमावे।

5 मंदिर श्री कल्याण जी ट्रस्ट द्वारा ग्राम डिग्गी की रोड लाइटों के बिजली का भुगतान जिस वर्ष से प्रारंभ किया है तब से लेकर आज दिनांक तक कुल किता बिजली का भुगतान किया गया ट्रस्ट द्वारा विद्युत विभाग को सूचना सूचित फरमावे।

6 मंदिर श्री कल्याण जी महाराज ट्रस्ट डिग्गी द्वारा जो गौशाला संचालित की जा रही है वह कहां रजिस्टर्ड हैं वह किस संविधान के तहत गौशाला संचालित की जा रही है

7 वर्ष 2005 से दिनांक 5.4.2023 तक प्रतिमा आय व व्यय का ब्योरा संपूर्ण चारे के बिलों की नकल दिलावे व गौशाला में किस—किस मद से आय प्राप्त हुई व किस—किस मद से व्यय हुआ संपूर्ण बिलों सहित सूचना सूचित फरमावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

8 दिनांक 6.04.2023 के बाद भी ट्रस्ट मंदिर पदेन अध्यक्ष उपखंड अधिकारी द्वारा गौशाला का संचालन संचालित है तो 26.4.2023 से आज दिनांक तक आय व व्यय का ब्यौरा दिलवाये।

9 मंदिर श्री कल्याण ट्रस्ट द्वारा कोरोना के टाइम में मंदिर व्यवस्था हेतु कर्मचारी (गार्ड) के रूप में लगाए गए थे यह किस वर्ष लगाए गए वह कितने गार्ड लगाए गए प्रतिवर्ष कितना वेतन था वर्तमान में कितने गार्ड मौजूद हैं कोरोना के टाइम लगाए गए कार्ड व इन गार्डों के लिए प्रतिवर्ष ठेका किस प्रकार दिया जाता है सूचना सूचित फरमाए।

10 यह कि मंदिर श्री कल्याण ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर में आयकर विभाग द्वारा 12 एए 2009/10/1121 दिनांक 13.07.2009 एवं 80जी(5) 2009–10/1120 दिनांक 13.07. 2009 के द्वारा जो छूट दी जा रही है जिस संविधान को देवस्थान विभाग अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/टोंक/2016 धारा 23 दिनांक 6.11.2020 को ड्रॉप कर दिया गया क्या आपके द्वारा दिनांक 6.4.2023 के बाद भी इस संविधान के तहत रसीद मंदिर में काटकर दानदाताओं को छूट दी जा रही हैं सूचना सूचित फरमाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र क्रमांक 521 दिनांक 28.06.2023, 594 दिनांक 10.07.2023, 694 दिनांक 24.07.2023 व 746 दिनांक 7.08. 2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर